(122)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1197–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–4–2015 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के प्रकरण कमांक 230/अपील/2011–12 ।

.....

1–पेमला पिता मुंशिया भील

निवासी रताम्बा हा0मु0छापरवाड़ा

तहसील पेटलावद जिला झाबुआ

2–रामचन्द्र पिता मुंशिया भील

निवासी छापरवाडा तहसील पेटलावद जिला झाबुआ

..... आवेदकगण

विरूद्ध

मानसिंह पिता मुंशिया भील

निवासी छापरवाडा तहसील पेटलावद जिला झाबुआ

..... अनावेदक

.....

श्री बी0के0गुप्ता, अभिभाषक–आवेदकगण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 15/11/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–4–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक एवं आवेदक कमांक 2 के नाम ग्राम जूनाखेडा में स्थित भूमि खाता कमांक 48 एवं खाता कमांक

49 दर्ज रहा है । उनके पिता की मृत्यु होने के उपरांत उक्त भूमियों पर अनावेदक एवं आवेदक कमांक 2 का नाम दर्ज चला आ रहा था । जब खसरे की नकल प्राप्त हुई तब ज्ञात हुआ कि उक्त खातों के तीन अलग अलग खाते कर दिये गये हैं । खाता कमांक 33 के सर्वे नम्बर 110 की भूमि आवेदक कमांक 1 के नाम दर्ज है एवं खाता कमांक 40 के सर्वे नम्बर 112, 114, 116 व 232 की भूमि आवेदक कमांक 2 के नाम दर्शायी गई है । मुंशिया के केवल दो ही पुत्र थे । अतः पेमला का नाम प्रश्नाधीन भूमि से कम किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 30–4–2010 को आदेश पारित कर अनावेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29–3–12 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 23–4–15 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 115, 116 के अन्तर्गत त्रुटिपूर्ण इंद्राज को सही करने के लिये एक वर्ष की समय सीमा निर्धारित है ऐसी स्थिति में अनावेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रथमदृष्टया ही अवधि बाधित था, अतः तहसीलदार द्वारा अनावेदक का आवेदन पत्र निरस्त करने में वैधानिक कार्यवाही की गई थी परन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 89 के अन्तर्गत बन्दोबस्त में हुई त्रुटि को सुधार करने का अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को है इस बिन्दु पर विचार नहीं करते हुये अपर आयुक्त द्वारा अपील निरस्त करने में त्रुटि की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार के समक्ष इस तथ्य को प्रमाणित किया गया था कि आवेदक कमांक 1 पेमला मुंशिया का पुत्र है और

आवेदक द्वारा साक्ष्य में स्वयं स्वीकार किया है । मुंशिया के तीन पुत्र है, इस तथ्य पर विचार नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण में स्वत्व का प्रश्न निहित है, जिसके निराकरण का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर व्यवहार न्यायालय को है ।

4/ अनावेदक के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदकगण विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 1986–87 से पूर्व आवेदक कमांक 1 पेमला का नाम भू–अभिलेख में नहीं था । आवेदक कमांक 1 का नाम किस सक्षम आदेश से राजस्व अभिलेख में चढ़ा, इसका प्रमाण आवेदक कमांक 1 द्वारा किसी भी स्तर पर प्रकरण में पेश नहीं किया गया है । दोनों अपीलीय न्यायालयों ने साक्ष्यों की विवेचना कर अपने निष्कर्ष निकाले हैं जिसमें परिवर्तन के पर्याप्त आधार इस निगरानी में नहीं है । अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–4–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर